रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-09042020-219030 CG-DL-E-09042020-219030

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 189] No. 189] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 9, 2020/चैत्र 20, 1942

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 9, 2020/CHAITRA 20, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 2020

सं. 20/2020-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 247(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप धारा (1) तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वित्त अधिनियम, 2020 (2020 का 12) की धारा 141 के साथ पठित, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनिहत में आवश्यक है, नीचे दी गई तालिका के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट वर्णन के मालों को जो उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के अध्याय, शीर्ष, उपशीर्ष या टैरिफ मद के अधीन आते हैं, जो उक्त तालिका के कॉलम (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है को उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम सूची के अंतर्गत उनपर लगाए जाने वाले संपूर्ण सीमा शुल्क और उक्त विक्त अधिनियम, 2020 की धारा 141 के अंतर्गत लगाए जाने वाले संपूर्ण स्वास्थ्य उपकर से छूट देती है:—

तालिका

क्रम सं.	अध्याय/शीर्ष/उपशीर्ष/टैरिफ मद	विवरण
(1)	(2)	(3)
1.	9018 या 9019	कृत्रिम श्वसन या अन्य चिकित्सीय श्वसन तंत्र (वेंटिलेटर)
2.	63 या कोई अध्याय	फेस मास्क और सर्जिकल मास्क

1701 GI/2020 (1)

3.	62 या कोई अध्याय	व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, हज़मत संरक्षण सूट
4.	30, 38 या किसी भी अध्याय	कोविद -19 परीक्षण किट
5.	कोई अध्याय	उपरोक्त क्रम सं. 1 से 4 के मालों के निर्माण के लिए इनपुट, यदि आयातकर्ता सीमा शुल्क (शुल्क की रियायती दर पर माल का आयात) नियम, 2017 में उपवर्णित प्रक्रिया का अनुसरण करता है।

2. यह अधिसूचना 30 सितंबर, 2020 तक लागू रहेगी।

[फा. सं. 354/41/2020-टीआरयू] गौरव सिंह, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue) NOTIFICATION

New Delhi, the 9th April, 2020

No. 20/2020-Customs

G.S.R. 247(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) read with section 141 of Finance Act, 2020 (12 of 2020), the Central Government on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the goods of the description specified in column (3) of the Table below falling within the Chapter, heading, sub-heading or tariff item of the First Schedule to the said Customs Tariff Act specified in column (2) of the Table below, from whole of the duty of customs leviable thereon under the First Schedule to the said Customs Tariff Act and the whole of health cess leviable thereon under section 141 the said of Finance Act, 2020:—

TABLE

Sl. No.	Chapter or Heading or sub–heading or tariff item	Description of goods
(1)	(2)	(3)
1.	9018 or 9019	Artificial respiration or other therapeutic respiration apparatus (Ventilators)
2.	63 or any chapter	Face masks and surgical Masks
3.	62 or any chapter	Personal protection equipment (PPE)
4.	30, 38 or any chapter	Covid-19 testing kits
5.	Any Chapter	Inputs for manufacture of items at S. Nos. 1 to 4 above, subject to the condition that the importer follows the procedure set out in the Customs (Import of Goods at Concessional Rate of Duty) Rules, 2017.

2. This notification shall remain in force up to and inclusive of the 30th September, 2020.

[F.No. 354/41/2020-TRU]

GAURAV SINGH, Dy. Secy.